बिहार-विधान-सभा-वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २९ सितम्बर, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

RAPID FALL IN THE PRICE OF AGRICULTURAL PRODUCTS.

223. **Shri BRAJNANDAN SINGH** : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that there has been a rapid fall in the prices of the agricultural products in the State as well as outside, diminishing the paying capacity of the cultivators in the Canal Zone of the State ;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, do Government see the desirability of reconsidering the present canal rates and decreasing it so as to bring canal water within the reach of the average cultivator ;

(*c*) if the answer to clause (*a*) be in the negative, will Government be pleased to lay on the table prices of the agricultural products as reported in the years 1952, 1953 and 1954.

Shri RAMCHARITRA SINHA : The question of canal rates has from time to time been raised on the floor of this House. I, therefore, like to make the following statement :—

There has been a great deal of agitation about the enhancement in irrigation rates in some of the districts of the State. For the new irrigation projects completed recently or in the process of execution, calculation of what the proper irrigation rate should be, is easy. The capital has to be raised by borrowings and an interest charge of at least 3½% has to be provided for. The effective life of any major irrigation project would be hardly 100 years. The life of a tube-well is only 15 years. Actually, after about 50 or 60 years, the maintenance cost would become extremely heavy, and after about 100 years the entire project may require complete renovation at a cost almost as high as that of the original project. The provision for depreciation, therefore, ought to be at least 1½%. To this it is necessary to add the cost of maintenance and collection of revenues. The actual expenditure on maintenance and administration may come to as much as Rs. 2 or Rs. 3 per acre of the area irrigated. In fact, for the Sone Canal system it has been nearly Rs. 2-8-0 per acre of the area irrigated, and yet it has been known that maintenance has been inadequate, and very much improved maintenance and better administration are required. The cost of new irrigation projects that are being taken up now has been found to be

बिहार प्रिजरवेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की बिल सं० ३०)।

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953).

अध्यक्ष—बिहार डिसप्लेस्ड परसन्स प्रेमिसेज (रेन्ट रिकभरी एेन्ड इभिक्शन) बिल, १९५४, परिषद् से आया है। इसलिये मैं इसको नहीं लेकर आगे बढ़ता हूं।

अब बिहार प्रिजरवेशन ऐन्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिल, १९५३ पर माननीय मन्त्री श्री दीप नारायण सिंह बोलेंगे।

श्री दीपनारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रिजरवेशन ऐन्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिल, १९५३ को प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह बिल काफी देर तक प्रवर समिति में गौर और विचार करने के लिए रहा और काफी सोच विचार के बाद सभा के सामने आया है। प्रवर समिति के सदस्यों ने इसकी महत्ता को अच्छी तरह से समझा और बिल में जो स्कीम है उसको व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की। रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं बहुत साफ और सरल ढंग से लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के समय माननीय सदस्यगण बिना बहस किये इस बिल को जैसा सेलेक्ट कमिटी से रिपोर्ट के साथ आया है, मान लेंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचारित करने का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

अध्यक्ष—तो इसमें देर होगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—कई बातें ऐसी हैं जिनको आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष—प्रवर समिति में दोबारा जाने का प्रस्ताव है। इसमें आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—बहुत अच्छा।

*श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय,

I beg to move:

"That the Bihar Preservation and Improvement of Animals Bill, 1953, as reported by the Select Committee be recommitted to the same Select Committee"

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में पशुओं के संरक्षण का प्रश्न एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर बहुत दिनों से नाना प्रकार के आन्दोलन इस देश में हो रहे हैं। इन आन्दोलनों के अनेक रूप हैं। कुछ लोग इस आधार पर आन्दोलन करते हैं कि धार्मिक दृष्टि से गो-रक्षा होनी चाहिये। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहिंसा की दृष्टि से आन्दोलन करते हैं। जिन पशुओं का बध भारतवर्ष में होता है, चाहे वे गाय हों, बैल हों, या अन्य पशु हों, उनका बध नहीं हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि कृषि के कार्य में आने वाले जितने पशु हैं उन्हें बध नहीं करना चाहिये। इस प्रकार आन्दोलन कई रूप में चल रहा है। इस देश में कई जगह गिरफ्तारियां हुई थीं और इस बिहार राज्य में भी पहले सत्याग्रह हो चुका है यह सभी को ज्ञात है। इसके लिये अनशन भी हुआ था। इस सदन में भी यह प्रस्ताव लाया गया था और इस पर विचार किया गया था कि कृषि के कार्य में आने वाले पशुओं एवं दूध देनेवाले पशुओं के बध को रोका जाय। उस समय श्री गजाधर प्रसाद सिंह ने इस प्रस्ताव को पेश किया था कि इस पर कुछ विचार हो। इस पर सरकारी और गैरसरकारी दोनों ओर से प्रस्ताव एवं विधेयक पेश किये गये थे। अभी वर्तमान पशु विभाग के मंत्रीजी ने जो विचार का प्रस्ताव पेश किया है तो मैं नहीं चाहता कि इतने महत्त्वपूर्ण विषय को फिर से प्रवर समिति में भेजा जाय लेकिन आज मुझे बाध्य होकर यह प्रस्ताव लाना पड़ा है जिसके अनेक कारण हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह विधेयक इस रूप में पेश हो और इसका ऐसा सुन्दर रूप हो जैसा हमारे प्रान्त में जहां पर पशु-रक्षा का काम आज से नहीं शताब्दियों से होता आ रहा है और जिसमें हमारे प्रान्त ने सारे संसार का मार्ग प्रदर्शन किया है। हमारे वर्तमान पशु विभाग के मंत्रीजी के नाम से जो विधेयक है वह सारे भारतवर्ष का नेतृत्व कर सके। मैं देखता हूं कि हमारे सामने जो आदर्श है उसका उचित परिपालन नहीं हुआ है।

सदस्यगण—आपका आदर्श क्या है?

श्री गुप्तनाथ सिंह—श्रीमान् इसमें दो प्रकार के पशुओं का बध नहीं हो। एक

गाय का और दूसरा बछेड़ का जो तीन वर्ष के हैं। गाय से ही अन्य पशु बैल या बछड़े पैदा होते हैं तो इसमें बैल और साढ़ को बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। गाय माता है तो माता की रक्षा हो और उसके परिवार के सदस्यों की रक्षा न हो तो यह कैसी बात है। बैल और सांड़ की रक्षा न होगी तो और काम कैसे चलेगा बैल से ही तो खेती होती है अगर इसकी रक्षा न होगी तो खेती का काम कैसे चलेगा। इस विषय पर वैदिक युग में ऋषियों ने भी विचार किया था कि काम में आने वाले पशुओं को हम बध नहीं करें। यजुर्वेद में कहा गया है कि गाय अहन्या है, गाय की हत्या मत करो। वैदिक काल को भी देखा जाय तो उस युग के लोगों ने विचार किया था कि गोवध नहीं किया जा सकता है। साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया था कि हम इसे बध क्यों नहीं करना चाहिये, चूंकि ये दूध और घृत देती हैं। उन्होंने बकरी के बारे में भी बध नहीं करने का आदेश दिया है, कारण कि यह भी दूध देती है। भेड़ को भी बध नहीं करने को बताया है चूंकि उससे हमें ऊन मिलता है। इसी तरह से घोड़ों के बारे में भी कहा गया है कि ये हमारे बहुत काम के पशु हैं। इसलिये इन्हें भी बध नहीं करना चाहिये। अन्त में उन्होंने यह बताया है कि काम में आने वाले पशुओं को बध करने वालों को गोली से उड़ा देना चाहिये।

तो इस दृष्टि से श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि मैं यह मौखिक बात नहीं करता हूं। मेरे पास इसके पुष्कल प्रमाण हैं। उन्हीं सारी बातों का विवेचन करके यह सिद्धान्त स्थिर किया गया था। उन्होंने कहा है कि अमुक धर्म में अमुक पशु का बध वैध है। मैं इनका विरोध करता हूं। इस बात का विचार किया गया था कि व्यापार के काम में, खेती के काम में, भार वहन करने के काम में आने वाले जितने पशु हैं, उनका बध नहीं करना चाहिये। यानी भार वहन करने वाले पशु जैसे ऊंट, खच्चर, भैंसा, घोड़ा आदि पशुओं के बध का भी निषेध है।

अध्यक्ष—इसके लिये तो आपको काफी समय चाहिए। अब आप अन्तराल के बाद बोलेंगे।

(मध्याह्न भोजन का अवकाश)।

अध्यक्ष—आप जितनी भी बातें कहेंगे वह इस दृष्टिकोण से कहेंगे कि फिर जब यह बिल प्रवर समिति में जाय तो उस पर विचार हो सके।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आजकल ही नहीं, आज से सहस्रों वर्ष पूर्व क्या कल्पना थी हमारे देश के मनीषियों की? उन्होंने यह कल्पना की थी कि हमारे देश के जितने भी उपयोगी जानवर हैं, जैसे भेड़, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गदहा, खच्चर,........

(हास्य ध्वनि)

अध्यक्ष—उनकी पुस्तक में जो होगा वही तो वे कहेंगे।

श्री गुप्तनाथ सिंह—श्रीमान् बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पुस्तकों में सिर्फ गदहे ही हैं। इसलिए वे उसकी चर्चा अधिक पसन्द करते हैं। (हंसी)।

उस युग के लोगों ने सांगोपांग कल्पना की थी और उसका सम्यक् रूप से विवेचन किया था कि किस आधार पर पशुओं का बध करें। कुछ ऐसे पशु हैं जो हानिकारक हैं और इसलिये उनका बध किया जाय ऐसा वेद-वेदान्त में लिखा है। लेकिन जो पशु कृषि कार्य में लगाये जाते हैं, भार वहन के काम में लगायें जाते हैं और दूध देने वाले हैं उनका बध न करें। मैं श्रीमान् से निवेदन करना चाहता हूं कि यजुर्वेद के प्रथम अंक में लिखा है कि गौ वह है जो अहन्या है याने गौ वह है जिसका बध नहीं किया जा सकता है।

***श्री गदाधर सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं एक नियमापत्ति (प्वायंट ऑफ आर्डर) (रेज) पेश करना चाहता हूं। वेद-वेदान्त एक धार्मिक पुस्तक है तथा उनमें पवित्र मंत्र हैं और उनमें लिखा है कि नालायकों के सामने वेद नहीं पढ़ना चाहिए। परन्तु उस पवित्र चीज को हाउस के सामने इस तरह बार-बार उद्धृत करना और हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह एक धर्म निरपेक्ष (सेकुलर) राज्य है और इसलिये धार्मिक पुस्तकों से चर्चा करना और इस ढंग से कहना कि वह बात हास्यप्रद हो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि वेद के मंत्रों को बिना पढ़े हुए भी माननीय सदस्य अपना तर्क उपस्थित कर सकते हैं।

SPEAKER : I do not think there is any substance in the point of order, but I admit that there should be seriousness in such matters. The mover should be serious and there should be seriousness all round. All the members should be serious. Because the mover chooses to make certain quotations in support of the observations he has put before the House he should not be laughed at. I would, therefore, request the hon'ble-members, rather exhort them, to be serious in this case specially because an hon'ble member has chosen to quote from religious scriptures. it may be a secular State, but a member has a right to quote authorities. Why should he be precluded or debarred from quoting from the Vedas? I do not preclude anybody from quoting from the Bible either. I agree that the matter under discussion is not religious and I would therefore request the hon'ble mover not to give it a religious colour. But there may be a passing reference to scriptures.

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि गौ का अर्थ वेद में कैटल होता है जिसे हमलोग ढोर कहते हैं। वेद में लिखा गया है कि जो पशु उपयोगी हैं उनका वध नहीं करना चाहिये। यजुर्वेद के ४२वें अंक में लिखा हुआ है कि घोड़ा का भी वध नहीं किया जाय क्योंकि घोड़ा भी हमारे बहुत काम का पशु है। इसी प्रकार भेंड़ का भी वध मना है क्योंकि भेंड़ से हमें ऊन मिलता है। आगे चलकर ऋषियों ने बतलाया है कि दो पैर वाली चिड़ियां जैसे मुर्गी, बतक आदि का भी वध मना है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे ऋषियों ने भी इस चीज को धार्मिक रूप नहीं दिया था बल्कि उपयोगिता के आधार पर ही पशुओं का बध मना किया था। इसी तरह बिना खुर वाले पशु, दूध देने वाले पशु तथा भार वहन करने वाले पशुओं को बध नहीं करने का आदेश था। अभी विधान यह होने जा रहा है कि गाय और तीन साल के बछड़े का बध नहीं होगा। लेकिन आपको यह बतला देना चाहता हूं कि प्राचीन काल में भी गाय के साथ ही साथ बैल को बड़ा उपयोगी पशु माना जाता था। उनसे कृषि का काम लिया जाता है और वे भार वहन भी करते हैं। ऐसे ही दूसरे पशु जिनसे इन कामों को लिया जाता है उनकी भी रक्षा करनी चाहिये। अथर्व वेद में यह कहा गया है कि:

अनडुद्क्यास्त्वं प्रथम् धेनुभ्यस्त्वमरून्धति,
अघनवे वयसे शर्म चच्छ चतुष्यदे।

उसमें यह बतलाया गया है कि बैल कृषि के मूल आधार हैं। लेकिन गाय के बारे में ऋषियों ने यह कहा है कि वे अमृत का केन्द्र हैं और समस्त समाज के लिये बहुत उपयोगी ह। उनके बारे में ऋषियों और महर्षियों ने कहा है कि:

मातारूद्राणां दुहिता वसूना, स्वसादित्यानाममृत्स्य नाभिः,
प्रनुवोचं चिकितुषे जनाय, मां गामनागामदिति वधिष्ट।

अध्यक्ष—आप तो कही हुई बातों को ही दुहरा रहे हैं।

श्री गुप्तनाथ सिंह—मैंने पहले सूत्र रूप में कहा था और अब उनको सम्पूर्ण रूप से कह रहा हूं जिससे सब लोग उनको समझ जायं। समाज के उपयोग में आनेवाले पशुओं का बध न होना चाहिये। इस दृष्टि से कोई झगड़ा इस पर नहीं उठेगा। अगर आप

केवल गाय और बछड़े के वध को ही रोकने के लिये रखेंगे तो इस पर धार्मिक झगड़ा खड़ा हो जायगा। कहा जायगा कि धर्म के नाम पर आप उन पशुओं यानी गाय और तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़े के तो वध को रोकते हैं लेकिन काम में आनेवाले दूसरे पशुओं के वध को नहीं रोकते हैं और इस बात से अन्य समाज के लोग इस चीज का विरोध करेंगे। अब इस पर हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है उसका हम यहां पर उल्लेख कर देना चाहते हैं। उसकी ४८ धारा में यह लिखा हुआ है कि :

"48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle."

वहां पर 'मिल्च और ड्रौट कैटल' के भी (स्लौटर) को बंद करने की बात है। अब जब यह बिल कानून बन रहा है तब इन सब बातों पर सांगोपांग रूप से विचार होना चाहिए जिसमें समाज के उपयोगी सब पशुओं का बध बंद हो और इस तरह से समाज की उन्नति हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश के लोगों को न घी और दूध उचित मात्रा में मिल सकेगा और न भार वहन और खेती के काम के लिये आपको बैल और सांड़ ही मिल सकेंगे। पशु ही कृषि की रीढ़ और आप गाय और बछड़े के अलावे दूसरे पशु के भी बध को नहीं रोकेंगे तो आपको खेती और भार वहन के लिये उपयोगी पशु नहीं मिल सकेंगे।

अध्यक्ष—इस बिल में ड्रौट कैटल के बारे में जिक्र नहीं है।

श्री गुप्तनाथ सिंह—इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि इस बिल को फिर से उसी प्रकार समिति में भेज कर इन सब चीजों पर फिर से विचार किया जाय। आप तो यहां पर पशु में हाथी, सूअर, कुत्ता सभी को एक नजर से देखना चाहते हैं लेकिन हमको तो यह देखना है कि किस का वध रोका जाय और किसका नहीं। इस पर विचार करना है कि किसको बचाया और किसको नहीं बचाया जाय। अभी जो बिल है उसमें न बैल के बचाने की बात है और न भैंस की ही। अगर उनकी चर्चा बचाने के लिये है तो दूसरे कारण से है लेकिन उपयोगी जानवर होने के नाते नहीं है जिस तरह से गाय और बछड़े को बचाने की बात है। अगर आप तीन वर्ष के ऊपर के बछड़े यानी बैल को बचाने के लिये प्रबन्ध नहीं करेंगे तो खेती और भार वहन का काम कौन करेगा?

अध्यक्ष—तीन वर्ष से ऊपर के हो जाने पर उनको बचाने की बात इस बिल में नहीं है।

श्री गुप्तनाथ सिंह—जी हां। इसलिये मेरा ख्याल है कि खेती के लिये और भार वहन करने के लिये बैल और भैंसे के वध का भी निषेध होना चाहिए। अभी तो जो प्रोविजन है उसके अनुसार गाय और तीन वर्ष के नीचे के बछड़े को छोड़ कर जिसको जो चाहे काट सकता है। जब आप बैल और भैंसों के बचाने के लिये प्रोविजन नहीं

करेंगे तो वह समाज के लिये बहुत ही दुख और दुर्भाग्य की बात होगी। वे सब भी पशु वन के एक बहुत उपयोगी अंग हैं और उनको भी बचाने की जरूरत है। आप अगर खेत के पूरब के हिस्से की रक्षा करें और पश्चिम के भाग को योंही छोड़ दें तो उससे तो खेत की रक्षा नहीं हो सकती है। इसी तरह से देह के मुंह में तो आप पाउडर लगावें लेकिन दूसरे अंग पर कीचड़ डाले रहें तो इससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये इस विषय पर सांगोपांग विचार करना बहुत जरूरी है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष—आप संक्षेप में अपनी बातों को कहिये।

श्री गुप्तनाथ सिंह—यह एक बड़े महत्व का विषय है और हम तो आपसे यह आशा रखते हैं कि आप इस पर मुझे विस्तार से कहने के लिये कहियेगा जिसमें समाज के उपयोगी जानवरों की रक्षा हो सके।

अध्यक्ष—संक्षेप में बोलने के लिये कहने से मेरा मतलब यह है कि माननीय सदस्य कही हुई बातों को दुहरायें नहीं। जितनी जरूरी बातें हों उनको थोड़े समय में कहने की कोशिश करें और साथ ही साथ उसको संक्षेप में भी हाउस के सामने रखने की कोशिश करें। संक्षेप से बोलें ऐसा कहने से मेरा यही मतलब है जिसको मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं।

श्री गुप्तनाथ सिंह—श्रीमान्, अब मैं इस बिल पर आता हूं। श्रीमान् संविधान में जो कुछ है उसको तो मैंने कह ही दिया है। संविधान में घोड़ा, गदहा, हाथी और सुअर की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यहां पर इसकी चर्चा की गयी है और इसका रूप बहुत व्यापक बना दिया गया है। पशु के विकास के लिए संविधान में जो निर्देश हैं उससे भी ज्यादा इस बिल में व्यापक कर दिया गया है जिसमें गदहा, घोड़ा, सूअर इत्यादि भी आ जाते हैं। काफ में तो नर या मांदा जो बच्चा होगा, वह काफ में गिना जायगा, लेकिन हिफर शब्द कहां से चला आया जिसका माने होता है बछिया। इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज और अनावश्यक है। अभी इस बिल में बहुत से दोष हैं और उसको हटाना चाहिए।

दूसरी बात सजा के बारे में यह है कि जो बध करने वाले होंगे उनको सजा दी जायगी। यानी जो बधिक होंगे उनको अधिक से अधिक ६ महीने तक सजा दी जा सकती है। हो सकता है कि बधिक को एक या दो दिन की भी सजा मिले, क्योंकि यह तो मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है। श्रीमान् मैं आपको बताऊं कि मध्य भारत में इसी गो-रक्षा के सम्बन्ध में एक कानून बना है उसमें वहां की सरकार ने तीन साल की सजा रखी है और साथ ही साथ जुरमाना हो सकता है। इस तरह से यह बिल ऐसा मालूम होता है कि मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई दे रहा है। आगे चल कर इन्होंने बतलाया है कि अगर किसी का पशु पकड़ लिया जायगा तो वह रखा जायगा और जब उस पशु का आदमी मिल जायगा तो उसे वह पशु दिया जायगा, लेकिन उस आदमी से उसका खर्च वसूल कर लिया जायगा। श्रीमान् मैं भी देहात का ही रहने वाला हूं और कैट्ल पाउन्ड जिसको यहां कहा गया है उसका मुझे भी अनुभव है।

अध्यक्ष—आप कहां से बोल रहे हैं?

श्री गुप्तनाथ सिंह—मैं चैप्टर ३ के बारे में कह रहा हूं। इन्होंने इसमें जो बतलाया है वह मैं आपसे कह रहा हूं। कैट्ल पाउन्ड में क्या किया जाता है वह मैं आपको बतलाऊंगा। अगर कसाई के सेन्स में कैट्ल पाउन्ड का माने लिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। न उसको खाने को देते हैं, न समय पर पानी देते हैं, कैट्ल पाउंड में बांध देते हैं, वह बेचारा सूख कर लंगड़ाने लगता है और ५-१० दिनों के बाद जब उसका मालिक आता है तब छुड़ा कर ले जाता है। मालिक को जुर्माना तो देना ही पड़ता है साथ-साथ खुराक का दाम भी लिया जाता है। पैसा मलिक से लिया जाता है लेकिन जानवर को खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता है। यह तो है उनकी पशुओं के प्रति रक्षा की भावना, इसको तो पशुओं का हनन ही कहेंगे। इसलिए इस धारा में भी उचित संशोधन करना अत्यावश्यक है।

दूसरी बात है कि अगर किसी जानवर को रोग हो जाय और अस्पताल के डाक्टर उसको देखेंगे तो क्या करेंगे यह देखने की बात है।

"........the Veterinary Officer shall send the animal to the nearest cattle pound or deal with it in such other manner as may be prescribed."

पाउन्ड में तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अगर बाहर रहेगा तो बच जायगा। इसका कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता है। अगर सारा का सारा खेत पशु चर जाय तो भी कैट्ल पाउन्ड में भेजना नहीं चाहेंगे। अगर कोई पशु को वहां भेज देता है तो उसको लोग कसाई कहते हैं। कृषकों में जो इस तरह का काम करते हैं वे बहुत ही बदनाम होते हैं। इसलिए इस चीज को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हुजूर, २४वीं धारा में यह बताया गया है कि यदि पशु के मालिक को यह विश्वास हो या उसको इसकी जानकारी होगी कि उसका पशु रोगी है और उसको बेच दे तो उसको सजा मिलेगी, दो सौ रुपए का जुर्माना होगा। हुजूर, आज के युग में ईमानदारों की संख्या बहुत बढ़ गई है और रागद्वेष बहुत कम हो रहा ह। यह सम्भव है कि एक तंदुरुस्त पशु भी राह चलते किसी आकस्मिक बीमारी की वजह से मर जाय। तो इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति पशु को बेचता है और वह उसके बाद मर जाता है तो वह बेचारा पकड़ा जायगा और उसको सजा मिलेगी। कहा जायगा कि विश्वास आप करते थे कि पशु रोगी है, हुजूर, विश्वास को देखने के लिए न कोई एक्सरे है और न इसे पहचानने के लिए कोई चीज ही। अफसर लोग इसके आइना होंगे और जो चाहेंगे निर्णय दे देंगे जिसका नतीजा होगा यह कि उस बेचारे को २०० रुपए दंड देने पड़ेंगे। इससे बहुत बुरा असर समाज में होगा, पशु को लोग रखना ही छोड़ देंगे और इसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब १५वीं धारा का जो दूसरा खंड है उसमें कोई अपील का क्लोज नहीं है। इसमें है कि:

"15(2). If any person having been convicted of an offence punishable under any of the clauses of sub-section (1) is again guilty of any offence punishable under that clause or is guilty of any offence punishable under any of the other clauses, he shall be punished for every such subsequent offence with fine which may extend to fifty rupees."

तो हुजूर, कोई अपीलिंग क्लौज तो होना चाहिए लेकिन वह अब नहीं है। एक बार जो निर्णय हो गया वह हो गया। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मां-बाप देखने के लिए नहीं है। जो सज़ा है वह मिलेगी ही।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जिस तरह से एग्रीकलचरल पेस्ट लैंड डिजिजेस में सरकार ने यह विधान किया है कि जिस आदमी के खेत में रोग लग जाये और यदि वह सरकार के निर्देश के मुताबिक उस रोग को छुड़ाना चाहे तो उसको औषधि इत्यादि में जो खर्च होगा उसका आधा सबसीडी के रूप में सरकार देगी। इस तरह का प्रबन्ध इसमें भी होना चाहिये। यदि किसी पशु को रोग हो जाय तो सरकार की तरफ से उसके औषधि में जो खर्च हो सबसीडी के रूप में सरकार दे। ऐसा करने से जनता समझेगी कि सरकार उनके लिये कुछ कर रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि सबसीडी के लिए क्लौज रखा जाना चाहिए। इसमें सबसीडी का कोई क्लौज नहीं गया है।

उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारा १६ के खंड २ में बताया है कि :

"16. (2) If such measures are not taken or such things are not done within the time specified in accordance with the provisicns of sub-section (1), the authority issuing the requisition, order or notification may cause the measures to be taken or the thing to be done and the cost thereof shall be recoverable from the person who was required to take such measures or to do such thing as if it were an arrear of land revenue."

यदि वह नहीं देगा तो सर्टिफिकेट हो जायगा। जिस तरह से किसी आदमी से कोई कर्ज लेता है और उसकी वसूली के लिए मुकदमा होता है और जेल होता है उन्हीं चीजों का अवलम्बन यदि यहां किया जाय तो ठीक नहीं है। इसमें आपको उदारता का परिचय देना होगा।

आप जानते होंगे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह रिवाज है कि कोई मरे तो उसका लड़का वृषभ दान करता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं था बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से भी, समाज की भलाई की दृष्टि से भी वृषभ दान लोग देते हैं। वृषभ में कोई खुला सांड़ छोड़ देता है। वह खेतों में चरता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आजकल तो किसी के खेत में यदि वह गया तो लोग भाला मार देते हैं। ऐसी बात देखने में आती है। लेकिन इस बिल में जो प्रोविजन रखा गया है उसमें यह है कि यदि कोई वृषभ दान करना चाहे तो उसी सांड़ को कर सकता है जो प्रेसक्राइवड् ब्रीड (विहित वर्द्धन) का हो। वह यदि वृषभ दान करना चाहता है तो उसको हरियाना बुल (साड़), काठियावाड़ का बुल (सांड़) सिर्फ कर सकता है और उसके लिए उसको बंगलोर सिंध इत्यादि जगहों का विचरण करना पड़ेगा। इसमें प्रौविजन है कि "Prescribed bread and approved by the prescribed authority" इसमें दान करने वाले को बड़ी मुसीबत होगी। वह प्रेसक्राइवड् ब्रीड के सांड़ खोजते फिरेंगे और तब तक पंडितजी कहेंगे कि मुहुर्त बीत गया, अब वृषभ दान नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के सम्बन्ध में यदि आप कानून बनावें तो आपको समझदारी के साथ बनाना चाहिए।

यों तो इसमें बहुत-सी त्रुटियां हैं उनकी ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं। जब यह प्रवर समिति में जायगा तो उस पर सम्यक रूप से विचार करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेकार पशुओं की रक्षा आवश्यक है। राधा चरण मुकर्जी ने "फूड प्रोबलेम फौर ४०० मीलियन" पर पुस्तकें लिखीं। उन्होंने लिखा है कि हमलोगों का "इकोनोमी फौली"

है कि इस तरह का पशु रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसे भी पशु हैं जो चारा नहीं खाते, उनको चारा हम नहीं देते हैं, सूखी घास खाते हैं और मिट्टी चाट कर रहते हैं। इस तरह के पशु भी मरने पर उनके हाड़-मांस से २६ रुपये प्रत्येक पशु हम पाते हैं। इसलिए हम इसे "इकोनोमी फौली" कैसे कह सकते हैं। यह जो आंकड़ा (फीगर) २६ रुपये का है वह सस्ती के समय का है।

इसलिये यदि हमारे प्रान्त में दो करोड़ भी पशु हैं तो हम इस तरह से ५२ करोड़ या अगर मोटे हिसाब ले लीजिये तो ६० करोड़ रुपये ऐसे पशुओं के लिये खर्च करते हैं जो निरुपयोगी हैं। कोई कैसे कह सकता है कि आपकी दृष्टि में यह हानिकारक है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है। युरोप में बड़े-बड़े फर्टिलाइजर फैक्टरी (उवरक कारखाने) हैं और वहां पर जो कृषि के पण्डित हैं उन्होंने बतलाया है कि रासायनिक खाद्य से................

अध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें।

श्री गुप्त नाथ सिंह—हम देखते हैं कि पशु हमारी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिये बहुत उपयोगी हैं। आज जो हमारी भारतीय सरकार है वह इस प्रश्न को बहुत दिनों से सोच रही है और उसने १९४७ में एक समिति भी बनाई थी। समिति ने बहुत दिनों के विचार के बाद एक निर्णय किया और उस निर्णय में उन्होंने एक अन्तिम निर्णय किया उसको मैं बताना चाहता हूं:

"This Committee is of opinion that slaughter of cattle is not desirable in India under any circumstances whatsoever, and that its prohibition shall be enforced by law. The prosperity of India to a very large extent depends on her cattle and the soul of the country can feel satisfied only if cattle slaughter is banned completely and simultaneous steps are taken to improve the cattle which are in a deplorable condition at present. In order to achieve these ends, the Committee suggests that the following recommendations should be given effect to:—

(i) The first stage which has to be given effect to immediately should cover the total prohibition of slaughter of all useful cattle other than as indicated below:—

(a) Animals over 14 years of age and unfit for work and breeding;

(b) Animals of any age permanently unable to work or breed owing to age, injury or deformity.

अध्यक्ष—यह तो आप अपनी दलील के खिलाफ पढ़ रहे हैं।

श्री गुप्त नाथ सिंह—कमिटी ने जो लिस्ट रिकोमेंड किया है उसको मैं दुहरा रहा था:

"The total prohibition of slaughter of all useful cattle other than as indicated below:—

(a) Animals over 14 years of age and unfit...................

अध्यक्ष—एक्सेप्ट में है आपने जो पढ़ा है वह आपकी राय से गलत है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—उन्होंने बताया है कि :

(a) Animals over 14 years of age and unfit for work and breeding ;

(b) Animals of any age permanently unable to work or breed owing to age, injury or deformity."

मैं यही कह रहा था कि दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि गाय, बैल, सांढ़, बछिया, पड़ा-पड़िया, भैंस-भैंसा और अन्य कोई भी पशु जिसे शासन समय-समय पर इस विधान के आशयों के शासनीय आज्ञा-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा कृषि उपयोगी पशु घोषित करे, उसको कोई व्यक्ति बध नहीं कर सकता है। यह हम नहीं कहते कि, हम दूसरे प्रान्त का अनुकरण करें। इस बिहार प्रान्त में भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया है, इसी बिहार प्रान्त ने अशोक जैसे व्यक्ति को जन्म दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय और इस सदन के सदस्यगण इस पर विचार करें और सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जो पशु कृषि के काम में आने वाले हैं उनका बध रोक दिया जाय। ऐसी व्यवस्था की जाय कि पशु की उन्नति हो। परन्तु सिर्फ पशु बध रोक देने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हम पशु बध रोक देते हैं तो ६० करोड़ की आमदनी बच सकती है। परन्तु सरकार को गोशाला का प्रबन्ध करना चाहिये। गोशाला के लिये सरकार के पास विधान नहीं है। हम देखते हैं कि देहातों में बहुत से गाय-बैल कीचड़ में पड़े रहते हैं। इसके अलावे चारे का भी इन्तजाम करना चाहिये। ऐसे किसान जिन्हें १० बीघा जमीन हो, १ बीघा चारे के लिये छोड़ दे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय, तथा प्रत्येक सदस्य गम्भीरतापूर्वक इन बातों पर विचार करें।

*श्री मुहम्मद ताहिर—जनाब अध्यक्ष साहब, गुप्तनाथ बाबू के मोशन का जो प्रवर समिति मे जाने को है, उसकी मैं ताइद करता हूं क्योंकि मेरा भी एक मोशन इसको फिर से प्रवर समिति में जाने का था। प्रवर समिति में ले जाने के लिए जो मैं अपनी राय दे रहा हूं उसकी वजह यह है कि यह बिल जिस तरह स्टैन्ड करता है उसके बारे में मेरा ख्याल है और यह यकीदा है कि इस बिल के पीछे हमारे सूबे की जो जनता है उसकी (सैंक्शन) सम्मति नहीं है। इसलिये सैन्क्शन नहीं है कि आप जानते हैं कि हमारे यहां के जो नेता हैं माननीय डाक्टर श्री कृष्ण सिंह, वे बदकिस्मती से इस बिल के मेम्बर नहीं थे। इसके अलावे हमारे उप-नेता जो अनुग्रह नारायण सिंह हैं, वे इसके मेम्बर थे लेकिन मैं देखता हूं ये दोनों साहबान नहीं शामिल थे। मेरा यकीदा है हमारे हजरात की जो राय होगी वह समूचे राज्य की राय होगी।

विरोधी सदस्यगण—नहीं, नहीं।

श्री मुहम्मद ताहिर—चूंकि इन दोनों हजरात की राय इस बिल में नहीं है इसलिए हम मानते हैं कि पूरे राज्य की राय नहीं है।

अध्यक्ष—ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। विधेयक के निस्बत एक भी मंत्री की ऐसी राय यदि है तो वह समूचे कैबिनेट की राय समझी जानी चाहिए।

श्री मुहम्मद ताहिर—इस बिल पर हमारे नेता का सैंक्शन नहीं मालूम पड़ता है।

अध्यक्ष—कोई भी बिल बिना कैबिनेट की राय के यहां नहीं आता है।

श्री मुहम्मद ताहिर—तो मेरा यह भी एक ग्राउन्ड है। वह बिल जिस शक्ल में पेश किया गया है वह अगर गौर से देखा जाय तो हम यह समझते हैं कि यह बिल ऐसा नहीं है जिस पर सूबे की जनता हिन्दू हो या मुसलमान खुश हो। यह बिल तो हिन्दुओं के लिए धोखा है और मुसलमानों के लिए सख्त तकलीफ। इसलिए ऐसा बिल आया जो तमाम जनता के लिए धोखा और मुसीबत है तो इसके लिए जरूरी है कि इसे फिर से प्रवर समिति में भेजा जाय। बिल ऐसा होना चाहिये जो तमाम जनता के लिए आरामदेह हो। मैं कहूंगा कि यह बिल किसी के फायदेमन्द नहीं है।

मैं इसकी ऐतिहासिक भूमिका को भी पेश करूंगा क्योंकि गोवध के मामले पर जब सदन में यह संकल्प आया था कि गोवध बन्द कर दिया जाय क्योंकि इससे लोगों को फीलिंग पैदा हो जाती है। यह हमारी खुशी और काबिले पसन्द की बात थी। लेकिन गुप्तनाथ बाबू ने कहा है तमाम पशुओं के बारे में, कि इनका बध नहीं होना चाहिये। मैं आपके सामने वैदिक समय से लेकर बौद्ध काल तक का हवाला देता हूं। क्योंकि बौद्ध काल में अशोक, जो सबसे बड़े बादशाह थे उनके समय में भी पशु बध रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। यदि कोई कानून होता तो जरूर पेश किया जाता।

अध्यक्ष—आपको इन चीजों का हवाला देना इस वक्त जरूरी नहीं है। जिस वक्त यह बिल पेश हुआ था उस वक्त आप इसको कह सकते थे या इस पर जब विचार होगा तब, लेकिन यह तो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है और आपने इस सिद्धान्त को मान लिया है। आप अब ज्यादे से ज्यादे इस पर आगे क्या विचार हो उसी को बता सकते हैं।

श्री मुहम्मद ताहिर—तो मैं कह रहा था अशोक के वक्त इस कदर कानून नहीं था कि गोवध बन्द कर दिया जाय। क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वे उपदेश के लेहाज से ऐसा करते थे। इस वक्त भी छोटानागपुर के आदिवासी हैं वे गोबध करते हैं और गोमांस खाते हैं। अगर कानून होता तो वे लोग भी ऐसा नहीं करते। गो पवित्र चीज मानी गयी है।

अध्यक्ष—यहां पवित्रता के नाम पर यह काम नहीं हो रहा है।

श्री मुहम्मद ताहिर—विधान की धारा ४८ में यह लिखा है कि :

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines........

यही मुख्य चीज है। और बाद का सबोर्डिनेट है।

अध्यक्ष—आपने खूब तर्क की बात कही! यदि पहला हिस्सा महत्व का है तो दूसरा हिस्सा भी है। दोनों का महत्व एक ही है। कोई किसी से कम नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर—विधान में कहा है:

"for preserving and improving the breed". It has not been said "for preserving and improving the animal".

लेकिन आपका जो बिल है वह "प्रिजर्विंग ऐंड इम्प्रूविंग दी एनिमल" रखा है। यह सिर्फ मजहबी भावना के ख्याल से ऐसा किया गया है। क्योंकि एनिमल यदि बैरन है तो ब्रीड कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष—तो आपका कहना है कि ब्रीड को प्रिजर्व किया जाय और एनिमल काटा जाय।

श्री मुहम्मद ताहिर—हम यह चाहते हैं कि ब्रीड को प्रिजर्व किया जाय लेकिन जो बेकार पशु हों उनको रखने से क्या फायदा है?

अध्यक्ष—तो अगर आप चाहते हैं कि जो खराब गाय वगैरह हों उनको मार दिया जाय तो इसके लिए आप दूसरा बिल ला सकते हैं।

इसमें जो खराबी है उसको आप बतलावें।

श्री मुहम्मद ताहिर—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सेन्टिमेन्टल बेसिस पर लाया गया है ऐसा हम मानते हैं। श्री रामचन्द्र शर्मा 'वीर' ने जो व्रत किया था उससे भी इस बिल का सम्बन्ध है। तो मेरा कहना है कि यदि यह बिल सचमुच में सेन्टिमेन्टल है तो गवर्नमेंट इसको महसूस करे और इस सेन्टिमेन्ट की कद्र करे।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ये जो आपका इस बिल पर दोषारोपण है वह गलत है। यह एकदम सेंटिमेंटल नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर—मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बिलकुल सेंटिमेंटल है परन्तु इसमें सेंटिमेंटल भी शामिल है।

अध्यक्ष—सेंटिमेंट तो हर चीज में है। यदि आप कुछ कहें उसमें भी सेंटिमेंट है और यदि आप चुप रहें उसमें भी सेंटिमेंट हो सकता है।

Shri RAM CHARITRA SINHA: May I suggest to the Chair that because the Government are prepared to accept the amendment of Shri Gupta Nath Singh this Bill may not now be discussed threadbare at this stage.

Shri MUHAMMAD TAHIR: If hon'ble Shri Dip Narayan Singh is prepared to accept the amendment I need not speak on the Bill at this stage.

श्री दीप नारायण सिंह—जो संशोधन श्री गुप्त नाथ जी द्वारा पेश हुआ है उस पर मैंने गौर किया और मैं सोचता हूं कि उस संशोधन को मंजूर कर लिया जाय।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री गुप्त नाथ सिंह जी का सेलेक्ट कमिटी में पुनः इस बिल को भेजने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं। यह बिल गत साल के सेशन में सभा के सामने लाया गया था। इसके पहले वाले सेशन में सेलेक्ट कमिटी से होकर यह बिल आया परन्तु इस पर विचार नहीं हुआ और इस सेशन में भी यद्यपि यह बिल प्रारम्भ में ही आया पर विचार का प्रस्ताव आज इस सेशन के अन्तिम दिन में लाया गया है। इससे पीछे जो बिल आए वे सब पास हो गए परन्तु इसका ठिकाना नहीं रहा और आज विचार के लिए आया भी तो रिकमीटल के प्रस्ताव के साथ। इतने महत्व के बिल को दो-दो वर्षों तक घसीटने के बाद भी पुनः इसको रिकमीट कर देने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। श्री गुप्त नाथ सिंह और श्री महम्मद ताहिर ने जो प्रस्ताव दिया है उससे मैं एक ही बात निकाल सका कि जहां संविधान में काउज ऐंड काफ्ज ऐंड अदर मिल्च ऐंड ड्राउट कैटल्स की बात कही गयी है। इस बिल में केवल काउज ऐंड कैफ्ज की हत्या को रोकने का प्रोविजन रखा गया है। और इसलिए यह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होता है। यदि इतनी ही बात है तो एक छोटा-सा अमेंडमेंट से ही ये जो चाहते हैं उसे ठीक कर दिया जा सकता है यह अभी भी मुश्किल नहीं है इसके लिए पुनः इसे उसी सेलेक्ट कमिटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, संशोधनों की सूची मैंने देखी है उसमें संशोधन की नोटिस दी गई है जिनकी स्वीकृति होने से यह बिल संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हो जायगा और प्रस्तावक महोदय की इच्छा भी पूरी हो जायगी। इसलिए मेरा विचार है कि एक ऐसे महत्वपूर्ण बिल को हमलोग अकारण एक सेशन से दूसरे सेशन में घसीटते नहीं रहें।

दूसरी बात यह है कि जब सरकार शुरू-शुरू कोई नया बिल सभा के सामने पेश करती है और उसके सम्बन्ध में काफी अमेंडमेंट्स आते हैं तो सरकार अक्सर यह कहती है कि अभी सभा इस बिल को पास कर दे आगे चल कर इसके वर्किंग में जो दिक्कतें होगीं उसके अनुसार अमेंडिंग बिल लाकर उन कठिनाइयों को सरकार दूर कर देगी।

अध्यक्ष—आप इसे अभी भी कर सकते हैं। खास कर जब अध्यक्ष अन्तिम अवस्था में भी संशोधन लेने को तैयार हैं।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—जी हां आपकी कृपा तो है ही। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे आप इस बिल में उचित अमेंडमेंट कर दें अथवा आगे चल कर एक अमेंडिंग बिल पेश करके इसमें उचित आवश्यकतानुसार सुधार कर देंगे। लेकिन यह बात ठीक नहीं कि आप इसे एक सेशन से दूसरे सेशन में और दूसरे से तीसरे सेशन में घसीटते जायं। यदि माननीय मंत्री गुप्त नाथ बाबू के संशोधन को मना लेते हैं तो मैं यही मतलब लगाऊंगा कि इन दोनों में सांठ-गांठ है।

अध्यक्ष—ऐसा कहना असांसद है। इसे आप वापस ले लें।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—अच्छी बात है मैं इसे वापस ले लेता हूं।

मेरे कहने का मतलब यह था कि दोनों आदमी एक ही विचार के हैं। हो सकता है कि उनका इंडिपेंडेंट ख्याल हो। अध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल पर विचार हो इस प्रस्ताव को करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि गत बार ही इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है अतः आशा है कि बगैर वाद-विवाद के सभा इसे स्वीकार कर लेगी परन्तु मैंने देखा कि गुप्त नाथ बाबू के रिकमीटल के प्रस्ताव को आते ही बगैर विरोधी पक्ष की बात को सुने हुए मंत्री महोदय ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया इसलिये संदेह होना स्वाभाविक है। अभी हमने यह भी देखा है कि जब यह हमारे कार्यक्रम पर आया तो कितने बिलों के पीछे था लेकिन इस पर प्रवर समिति का प्रस्ताव पास भी हो गया और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तब आज जब यह सेशन बन्द होने वाला है यह कहते हैं कि इसको रिकमिट किया जाय। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल रिकमिट न हो, बल्कि क्लाजों पर खंडशः विचार हो। जो अमेंडमेंट वे करना चाहते हैं मैं भी वही करना चाहता हूं और टैक्सचुअल अमेंडमेंट यहां कार्यक्रम पर इस तरह का अभी गया है। इसलिए इसके रिकमीटल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर अब खंडशः विचार करना चाहिए।

एक बात के लिए मैं श्री ताहिर को धन्यवाद ही नहीं बधाई देना चाहता हूं। आज आपने एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है और ऐसा करके आपने बिहार का सर ऊंचा किया है। संसार इनका आभारी रहेगा। अभी तक हमलोग जानते थे कि कोई भी सरकारी बिल जब आता है तो उसके पीछे लीडर और डिप्टी लीडर का सैंक्शन रहता ही है। वह तो कैबिनेट से ही आता है जिसके सदस्य और महत्व के सदस्य वे होते हैं परन्तु यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि इसके पीछे उनकी सहमति नहीं है और इसलिये प्रान्त की भी सहमति नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि श्री ताहिर को भी यह मालूम है कि इस राज्य में रहने वाले नब्बे प्रतिशत लोगों की सहमति है इस बिल के पीछे। अतः जितनी जल्दी हो सके इसको पास होना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का इसे पुनः प्रवर समिति में भेजा जाए उसका विरोध करता हूं।

श्री गदाधर सिंह—मेरा ख्याल था कि यह बिल बहुत सहूलियत से पास हो जायगा

क्योंकि मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि इस बिल पर काफी हमलोग गौर कर चुके हैं और इसको बहुत कम वक्त में पास कर देना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जो इस बिल के चार्ज में हैं जल्दी में कोई काम करते नहीं हैं और इतनी सहूलियत देना चाहते हैं कि पीछे वह सहूलियत बेसहूलियत की शक्ल में बदल जाती है। हमारे मंत्री महोदय इस बिल के जरिये जिन जानवरों को बचाना चाहते हैं और सुधार करना चाहते हैं इस अपनी सहूलियत देने की नीति के कारण उनकी बहुत बड़ी बेसहूलियत करने जा रहे हैं। बिहार के किसान महसूस करेंगे कि जब ब्रिटिश सरकार थी तो उनको इस मामले में सहूलियत नहीं मिलती थी लेकिन आज बिहार के किसान यह चाहेंगे कि इस तरह सहूलियत देकर इतनी देरी नहीं की जाय जब हमारी सरकार यहां है। किसान इस सूबे की रीढ़ हैं और अगर यह बिल सरकार द्वारा नहीं पास होता है तो मेरी समझ में यहां के किसानों में मर्दानगी की कमी होगी अगर इस ज्यादती को वे चुपचाप बर्दाश्त कर लें। यह सवाल उनके जीवन-मरण का सवाल है. . .।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य की यह भी राय होगी कि हम भी देरी नहीं करें ?

श्री गदाधर सिंह—हाउस के चलने के लिये एक कायदा है और हाउस उसी के मुताबिक चलता है।

अध्यक्ष—हमारे लिये भी तो कायदा है और उसी के मुताबिक हमको चलना पड़ता है।

श्री गदाधर सिंह—आप तो हाउस के मालिक हैं और हाउस के ऊपर आपका हुक्म चलता है। आपकी जो आज्ञा होती है वह हमलोगों के लिये शिरोधार्य होती है। मेरी यह राय है कि इस बिल को खंडशः लिया जाय और किसानों की भलाई का ख्याल कर इस बिल को जल्द पास कर दिया जाय। अभी इस बिल के ऊपर मौलाना और पण्डित की बात उठायी गयी है। हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि इस झगड़े को लेकर हमारा देश बहुत ही तबाह और बरबाद हुआ है। हमारे एक साथी ने वेद की बात कही है तो मेरा यह विचार है कि वेद की बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन राज-काज के मामले में इस समय हमलोग वेद से नहीं चल सकते हैं। अगर वैसा हमलोग चलने की कोशिश करें तो हमारे मौलाना भाई अपने धर्मग्रन्थ को लेकर खड़े होंगे और इससे मामला और सुलझने के बदले उलझ जायगा। इसलिये वेद की बात को यहां पर उठाने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके बाद यह कहा गया है कि फलां आदमी प्रवर समिति में नहीं थे और इसलिये इस बिल को फिर से उसी प्रवर समिति के यहां सुपुर्द किया जाय। हरेक आदमी का विचार अलग-अलग होता है और सब आदमी अपने-अपने विचार को कैबिनेट के सामने रखता है और उस पर वहां और कई जगहों पर विचार करने के बाद कोई बिल सभा के सामने उपस्थित होता है। इसलिये किसी खास व्यक्ति या मंत्री के रहने या नहीं रहने का सवाल यहां पर नहीं उठाना चाहिये। फिर से उसी प्रवर समिति के सामने इस बिल को रखने से कोई फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि इस बीच उसके सदस्य कोई वेद नहीं पढ़ लिये होंगे। यह बात है कि फिर से रखने से कोई टेक्स्चुयल अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन यह कोई खास महत्व की बात नहीं होगी क्योंकि किसी भी चीज को दुबारा रखने से उसमें कुछ न कुछ टेक्स्चुयल अमेंडमेंट हो ही जाता है। ऐसा करने से देरी होगी और इससे किसानों को बड़ी नुकसानी हो रही है। बैल या भैंस किसी कारखाने में गढ़ी या बनायी नहीं जा सकती जिस तरह से एमोनियम सल्फेट जब हम चाहें जितना बना लें। उसको तो गाय अपने गर्भ में नौ महीने तक धारण करेगी और बाद में तब बछड़ा पैदा होगा और उसके बाद वह बढ़कर बैल हो सकेगा। अब अगर कलकत्ता शहर में गोश्त की दर कुछ ज्यादा हो जाय तो इसके व्यापारी समाज या किसानों के हित का ख्याल नहीं करेंगे बल्कि वे अपने पैसे का ख्याल करेंगे और बैल और भैंसे को वहा कसाईखाने तक पहुंचा आयंगे। इसलिये मैं इस हाउस के सभी भाइयों से यह दरखास्त करूंगा कि वे इन सब बातों पर गौर करके इस बिल को जल्द से जल्द पास कर दें और खंडशः विचार के समय कुछ जरूरी सुधार हो तो उसे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से उसी प्रवर समिति के सामने इस बिल को भेजने से मेरे जानते कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई इस बिल के पास होने में सहयोग देंगे और इसको जल्द पास कर देंगे।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जब हमारे प्रस्ताव को मान लिया है तब मुझे अब इस पर कुछ बोलना नहीं है और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामानन्द तिवारी—जब यह बिल प्रवर समिति में फिर से सौंपा जा रहा है तो दूसरे सदस्य को अपने विचार सभा के सामने रखने के लिये मौका मिलना चाहिये जिसमें उस पर वहां विचार हो सके।

*श्री योगेश्वर घोष—हमलोगों को भी इस बिल पर अपना विचार पेश करने के लिये मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष—ऐसा होने से तो इस विल पर ३० तारीख तक तो बहस ही चलती जायगी। आपलोग मंत्री लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे बिलम्बकारी तरीका अख्तियार करते हैं लेकिन आप लोगों के इस रूख से तो यह आरोप आप लोगों पर भी लग सकता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इसमें डाइलेटरी टैक्टिस का सवाल नहीं है। केन्द्रीय सरकार की कुछ नीति अभी मालूम हुई है और इस नीति को ध्यान में रख कर इस बिल पर अब विचार होना चाहिये।

श्री योगेश्वर घोष—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति में फिर से भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसके कई कारण हैं और उनमें पहला कारण यह है कि अभी पालियामेंट में श्री रफी अहमद किदवई ने एक वक्तव्य दिया था जिससे कुछ मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि:

" Miloh and draught cattle would cover only cattle capable of giving milk or of being employed for draught purposes or in other words " useful cattle."

एक तरफ केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि टोटल प्रोहिबीशन नहीं हो और दूसरी तरफ हमारी सरकार टोटल प्रोहिबीशन करने जा रही है तो ऐसा होना ठीक नहीं है। जब दोनों जगहों में एक तरह की सरकार है तो ऐसी हालत में दोनों सरकार की दो तरह की नीति होनी देश के लिये और राजनैतिक जीवन के लिये बहुत ही खतरनाक होगा।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह बिल पुनः प्रवर समिति में जाय और इस पर हमारे माननीय मंत्री केन्द्रीय सरकार से सलाह लेकर एक ऐसी नीति निर्धारित करें जिसमें दोनों सरकार का एक ही रूख हो।

श्री गदाधर सिंह—मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि किदवई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें प्रिजर्वेशन का सवाल नहीं है उसमें तो इसमें सुधार लाने का सवाल है................

अध्यक्ष—आप फिर से कहें।

श्री गदाधर सिंह—मेरा कहना है कि किदवई साहब ने क्या कहा, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा, यह चीज यहां के विधान को अफेक्ट........

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। यह तो आपकी दलील मालूम पड़ती है।

श्री गदाधर सिंह—हो सकता है कि यह मेरी दलील हो। मगर इन्होंने जो कहा है उसे मैं कह देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से सलाह लेकर एक ऐसी नीति सरकार निर्धारित करे जिसमें दोनों सरकार का एक ही रूख हो और जैसा कि किदवई साहब के स्टेटमेंट में हैं। तो मेरा कहना यह है कि किदवई साहब से हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे सामने विधान है और बिल है.......

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। यह प्वायन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। अगर आप यह कहें कि वे किदवई साहब का नाम नहीं ले सकते हैं, वे उनके वक्तव्य को नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आपके प्वायन्ट ऑफ आर्डर को समझता। यह कोई प्वायन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

(इस समय श्री जगन्नाथ सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री योगेश्वर घोष—सभापति महोदय, २० दिसम्बर, १९५० को किदवई साहब संविधान की एक धारा पढ़ रहे थे जिसका अर्थ उन्होंने साफ नहीं किया और जो हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रमुख...............

श्री गदाधर सिंह—प्वायन्ट ऑफ आर्डर मेरा फिर भी है और वह यह है कि माननीय सदस्य फिर भी किदवई साहब का नाम ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अध्यक्ष महोदय का एक निर्णय इसके बारे में हो गया था और फिर भी माननीय सदस्य वही बात कह रहे हैं इसलिये मैं चेयर से प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री योगेश्वर घोष—तो मैं उस आन्दोलन की ओर हाउस का ध्यान खींचना चाहता हूं...................

CHAIRMAN (Shri JAGANNATH SINGH): Please only speak as to the merits and demerits of the Bill, without imputing any motive to anybody.

श्री योगेश्वर घोष—इस सदन के बाहर हिन्दुस्तान के विभिन्न शहरों में जो आन्दोलन चल रहे हैं और जब यह सरकार जनतांत्रिक सरकार है तो सरकार का ध्यान इन पर तो जाना चाहिए। उन आन्दोलन की वजह से भी यह बिल आया है।

सभापति (श्री जगन्नाथ सिंह)—उस विषय को आप छोड़ दें, आप कृपा कर बिल पर बोलें।

श्री योगेश्वर घोष—कृषि और दूसरे दूध के ख्याल से इसकी आवश्यकता है कि

पशुओं का ह्रास न हो। आज के युग में कोई धर्म से ही जिन्दा नहीं रह सकता है। गांधी जी के शब्दों में आजकल किसानों के देवता रोटी ही है, अगर कृषक दोनों शाम रोटी पा जाता है तो यह अच्छा होगा न कि रामनाम का जाप करना अच्छा होगा। कृषि की ओर भी ध्यान रखना चाहिये और कृषि योग्य पशुओं की रक्षा का भी प्रबन्ध इस बिल में होता। इसमें यह होना चाहिये कि १० वर्ष से अधिक उम्र वाले पशु जो बेकार हो गए हैं उनको मारा जा सकता है। अगर कृषि प्रधान देश में कृषि योग्य जानवरों की रक्षा का बिल में प्रबन्ध न हो और बिल का नाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल हो यह अजीब बात होगी। मैं समझता हूं कि यहां की कृषि और अर्थ को ध्यान में रख कर इस बिल को नहीं तैयार किया गया है, अवश्य ही इसमें किसी अन्य सिद्धान्त का हाथ रहा है। आज जब हमारे यहां ट्रैक्टर से खेती करने की बात हो रही है और घी के स्थान पर डालडा के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो फिर पशुओं की रक्षा क्यों कर होगी। यह बिल पशुओं की रक्षा के लिए नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई दूसरी चीज है जिसको माननीय मंत्री कहना नहीं चहाते हैं। अगर आप पशुओं की रक्षा का नारा लगाते हैं तो आज यह होना चाहिये था कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने से इस बात का आन्दोलन किया जाता और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाता कि डालडा का उत्पादन वह रोक दे और ट्रैक्टर की जगह पर जानवरों से काम लिया जाय।

CHAIRMAN (Shri JAGANNATH SINGH): I would request the hon'ble member kindly to refer to the provisions of the Bill and to support or oppose the motion under discussion.

श्री योगेश्वर घोष—हुजूर, इतनी चतुरता के साथ इस बात की कोशिश की गई

है कि टोटल प्रोहिबीशन ऑफ काउज होना चाहिये लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं रखा गया है कि किस तरह हम पशुओं की नस्ल में सुधार कर सकेंगे। अगर इसका ध्यान होता तो यह अवश्य इस बिल में रखा जाता कि चारे का प्रबन्ध कैसे हो सकता है, कैटल ब्रीडिंग में कैसे सुधार लाया जा सकता है, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा हरा घास उपलब्ध हो सकती है।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल का समर्थन श्री राम नारायण चौधरी क्यों न करें लेकिन उनका ध्यान प्रीजर्वेशन के ऊपर न होकर उनका ध्यान साम्प्रदायिकता पर है।

श्री रामचन्द्र यादव—साम्प्रदायिकता का जो आरोप लगाते हैं वह असंगत है।

यह मेरा प्वायन्ट ऑफ आडर है।

CHAIRMAN (Shri JAGANNATH SINGH): Mr. Yogeshwar Ghosh should explain what he said.

श्री योगेश्वर घोष—उनके अन्दर जो छिपी हुई भावना है उसको मैंने प्रगट कर

दिया।

CHAIRMAN (Shri JAGANNATH SINGH): I would request you to withdraw.

Shri YOGESHWAR GHOSH: I withdraw.

बिहार-विधान-सभा से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

CHAIRMAN (Shri JAGANNATH SINGH): I would request the Secretary to read the message received from the other House.

SECRETARY TO ASSEMBLY: Sir, the following message has been received from the Legislative Council :—

The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 23th September, 1954 returned without any recommendation the Bihar Appropriation (no. 3) Bill, 1954, which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 22nd September, 1954.

बिहार प्रिजरवेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की बि० सं० ३०) —क्रमशः

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953)—*contd.*

*श्री सुकरा उरांव—अध्यक्ष महोदय, गुप्त नाथ जी का जो प्रस्ताव है कि इस बिल को प्रवर-समिति में भेजा जाय उसका मैं समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में मैं देखता हूँ कि एक चीज का होना वहुत जरूरी है, इसलिये मैं इस बिल को प्रवर-समिति में जाने के लिये समर्थन करता हूँ। आप जानते हैं कि बिहार प्रान्त में ३६ लाख से ऊपर आदिवासी हैं। इस बिल के पास हो जाने से एक वहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। यदि सीधे कह दिया जाय तो इस सदन के सदस्यों को दुख होगा लेकिन सीमी में उनके सामने और हाउस के सामने रख देना जरूरी समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के बीच में, आज से नहीं मुद्दत से यह प्रथा चली आ रही है कि वे लोग गाय की पूजा में वली चढ़ाते हैं। हमारे माननीय सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा और कहेंगे कि आदिवासी लोग जंगली हैं इसलिये वे गाय को पूजा में चढ़ाते हैं। हमलोग मुद्दत से इस चीज को करते आये हैं और इसको करेंगे। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, इस चीज के चलते प्रत्येक साल झगड़ा हुआ करता है। हाल ही में चापी गांव में जो रांची जिला के कर्रा थाने में हैं वहां के आदिवासी लोगों ने पूजा में गौ को चढ़ाया था। वहां पर झगड़ा हुआ और मारपीट भी हुई। वहां आदिवासियों को मारा गया। बारा थाने में भी एक किसी गांव में आदिवासी लोग पूजा में गौ चढ़ा रहे थे तो वहां मारपीट हुई और मुकदमा भी चलाया गया। तो मेरे कहने का मतलव यह है कि जव आज कानून नहीं वना है उस समय भी इस तरह का जुल्म हो रहा है। उनको मार खाना पड़ता है। चूंकि वे वोल नहीं सकते हैं, उनमें एकता नहीं है, उनको मार सकते हैं। उनमें जव जागृति आ जायगी, जव अपना अधिकार समझने लगेंगे तो उनकी तरफ आप अंगुली भी नहीं उठा सकते हैं। अगर आप कानून वनाकर भी इसे रोकना चाहेंगे तो यह नहीं रूक सकता है। लोग इसके लिये फांसी पर चढ़ने के लिये तैयार हैं। धर्म के चलते हम फांसी पर चढ़ने के लिये तैयार हैं। आप ऐसा करने से हमें नहीं रोक सकते हैं।

हमारे धर्म में गौ-कशी है। जब आदिवासी गौ-कशी करते हैं तो वहां हिन्दू उन्हें मार देते हैं। इस तरह की घटना कई एक बार हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह क़ानून पास हो जाय कि गाय या बछड़े को नहीं मारा जाय तो आदिवासियों के लिये वहां पर कोई रास्ता नहीं है। आदिवासियों के लिये कुछ रास्ता निकालना जरूरी है।

सभापति (श्री जगन्नाथ सिंह)—आप विधेयक के बारे में कहें।

श्री सुकरा उरांव—हम कह रहे थे कि वे लोग भी गौ की पूजा करते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जैसे हिन्दू भाई गौ को श्रद्धा का केंद्र मानते हैं उसी तरह आदिवासी भाई भी उन लोगों का आदर करते हैं।

सभापति (श्री जगन्नाथ सिंह)—यह बात तो आप बता चुके हैं।

श्री सुकरा उरांव—इसलिये मैं इतना कहकर कि इस कानून में आदिवासियों के बचाव का कुछ प्रबंध हो, मैं श्री गुप्तनाथ जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मंजूर अहमद—सभापति जी, आज जो बिल हमारे सामने है वह बहुत ही अहम बिल है। अहम इसलिये है कि इसके जरिये हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। यह कोई अमेंडिंग बिल नहीं है। आप कानून इसलिये बनाने जा रहे हैं कि आपको व्यवहार रूप में कुछ दिक्कत हो रही है। यह मूल बिल है और हमलोगों के सामने लाकर सरकार एक नया कदम उठाने का इरादा रखती है। इस बिल पर विचार करने में हमें बहुत ही ठीक से इस बात का ख्याल रखना है। साथ ही मेरा ऐसा ख्याल है कि इस बिल को मंजूरी देने से पहले हम इसकी तमाम धाराओं को देखें और इसके एक-एक शब्द को परखें, ऐसा करने से भविष्य में हमको सहूलियत मिलेगी। इस बिल को पास करने के पहले हमको यह देखना है कि रैयतों की इस समय क्या हालत है। बिल की मस्विदा तैयार करनेवाले, प्रवर-समिति में गौर करने वालों ने उन बातों को मद्देनजर में नहीं रखा है जिसको इस बिल में रखना चाहिये था। हम इस बिल को पढ़ने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रवर-समिति के सदस्यों ने इस बिल को विचार करते हुए, इस बिल की बुराइयों की तरफ और खामियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिनकी ओर सदन के बहुत से सदस्यों ने इशारा किया था। मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन-सी त्रुटियां हैं जिनकी ओर मेम्बरों ने इशारा किया था। अगर हम इसका विरोध नहीं करके मंत्री महोदय के कहने के मुताबिक बिना समझे बूझे ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपना फर्ज अदा नहीं करते हैं। यह देखना बहुत जरूरी है कि प्रवर-समिति ने जो परिवर्तन किया है वह कहां तक मुनासिब है। इस पर आपको गौर करना है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—मेरा एक प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय मेम्बर जो बोल रहे हैं, वे बिल के बारे में बोल रहे हैं या मोशन के बारे में।

सभापति (श्री जगन्नाथ सिंह)—मेम्बर बिल के प्रोविजन के बारे में बोल रहे हैं, इसमें प्वायंट ऑफ आर्डर के लाने की कोई बात नहीं है?

श्री मंजूर अहमद—यह बिल इतना महत्वपूर्ण है, इसके अन्दर जो विषय हैं वे इतना जरूरी हैं कि हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। जनाब सदर, प्रवर-समिति की रिपोर्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिन बातों की ओर सदन के सदस्यों ने इशारा किया था उन बातों की ओर प्रवर-समिति ने खयाल नहीं किया। खंड ८ बहुत अच्छा खंड था जो प्रिजरवेशन ऑफ एनिमल के बारे में है। इसी तरह खंड १५ और १६ भी बहुत जरूरी हैं, जिन्हें इस बिल में रहना चाहिये था। लेकिन उनको भी हटा दिया गया है। हटा देने से उसमें कमजोरी आ गई है। इनफेक्टेड एरिया में बाहर से जानवरों को न आने दें और साथ ही साथ इनफेक्टेड एरिया से भी जानवरों को बाहर न जाने दें क्योंकि बीमारी फैलने का डर रहता है। माननीय मंत्री जी ने इसे कैसे स्वीकार किया, मुझे तो आश्चर्य होता है। १५ और १६ खंडों की ओर देखते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि मरे हुए मवेशियों की लाश कहां रखी जाय इसका कोई पता नहीं है। इसलिये मेरा विचार है कि इसको फिर से प्रवर-समिति में भेजा जाय। खंड १६ जो बहुत जरूरी है, जिसमें मवेशियों के प्रोहिबीशन के बारे में कहा गया है। बीमारी वाले भी मवेशी हाट पर खरीद-बिक्री के लिये लाये जाते हैं। इसमें ऐसा प्रोहिबीशन होना चाहिये कि जिसमें छूत की बीमारी लवाले पशु यहां नहीं लाये जा सकें और उनकी खरीद बिक्री न हो। १५ और १६ खंडों को हटा दिया गया है तो बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। एनीमल हसबेंड्री कैसा हो इसकी जरूरत के लिये मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर-समिति में भेजा जाय। प्रवर-समिति के सदस्य वहां इस बिल को पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। इस बिल को दुबारा भेजने की मेरा दलील यह है कि आनेवाले भारत में तरक्की हो। दफा ४८ में प्रिजरवेशन ऑफ एनिमल के बारे में कोशिश की गई है। ताकि एग्रीकल्चर और एनिमल हसबेंड्री में तरक्की हो और ठीक से संगठित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि उसके बारे में जबर्दस्त और उचित कदम उठाया जाय जिससे मुल्क में तरक्की हो। तीसरी बात यह है कि जानवरों के वध को बंद किया जाय।

जहां तक इसके नाम से पता चलता है कि यह बिल इसलिये है कि इसके जरिये गाय के ब्रीड (वर्द्धन) को प्रिजर्व और और इम्प्रूव किया जाय और दूसरी बात है कि गाय, बछड़ा और दूसरे दूध देने वाले पशुओं का वध नहीं किया जाय। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बिल के जरिये इन सब लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। एक तरफ आप गोवध के लिये लाइसेंस देते हैं और दूसरी तरफ इसको बन्द करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपका मकसद पूरा नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रिजरवेशन ऑफ एनिमल आपका कैसा होगा जब आप एक तरफ छूट दे रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि वध के नाम पर लोग तूफान भी मचा सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि आप सारे स्लाटर हाउस को बन्द करें और बिल में काउज, काफ्स और दूसरे दूध देने वाले जानवर और ड्राट कैटल जोड़ दें। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो स्लाटर करने वाले आदमियों पर लोग अत्याचार करेंगे।

तीसरी बात यह है कि जिस तरह गाय और सांड़ आदि की अच्छी नस्ल की जरूरत है उसी तरह भैंस, भेड़, घोड़ा आदि जानवरों की भी अच्छी नस्ल की जरूरत है। इसका भी बिल में प्रोविजन होना चाहिये।

श्री गुप्तनाथ सिंह—मेरा प्वायंट ऑफ इन्फौरमेशन है कि बोवाइन से आपका क्या मतलब है?

श्री मंजूर अहमद—भेड़ वगैरह इसमें नहीं आते हैं। हमको हर तरह के जानवर की अच्छी नस्ल की ज़रूरत है।

अब मैं दो-एक बात कह देना चाहता हूँ। मिनिस्टर साहब पर जो दोषारोपण किया गया है वह निराधार है। उन्होंने इस बिल को भावना या धार्मिक विचार को आहत करने के लिये नहीं लाया है। इसके लाने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं चाहता हूँ कि इस बिल को प्रवर-समिति में भेजा जाय और वहां इस सदन में कही हुई बातों पर गौर से विचार हो ताकि जब यह बिल आवे तो सब खामियों से रहित हो। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें यहां कही गयी हैं उनमें सिर्फ दो बन्धुओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और सभी मित्रों ने इसका समर्थन किया है और सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। इसलिये इसके जवाब में मुझे विशेष कहना नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वह पिष्टपेषण है वह महत्व की चीज नहीं है।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही इस बात को साफ कह चुका हूं कि जो प्रस्ताव संशोधन के रूप में इस सभा के सामने है उसको मैं मंजूर कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। केवल इतना ही मैं इस सभा को कह देना चाहता हूँ कि जो बिल इस सभा में सरकार द्वारा पेश किया गया है उसमें केवल एक ही भावना थी और वह भावना उपयोगिता की थी। पशु-विकास हमारे प्रांत में एक बहुत जरूरी चीज है और पशु-विकास को दिशा में सरकार ने काम किया है और कर रही है यह बिल उस दिशा में केवल एक कदम है। इसके अलावे समय-समय पर और भी योजनाएँ पशु-विकास के लिये आती रही हैं और इस बिल को भी इस सभा में लाने का एक मात्र उद्देश्य यही है जिसमें पशुओं का विकास हो। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—अब मैं प्रश्न पूछता हूँ।

श्री गुप्तनाथ सिंह—मैंने अपने प्रस्ताव में प्रतिवेदन देने की तिथि नहीं दी है। १५ दिसम्बर, १९५४ तक प्रतवेदन देने की तिथि रहनी चाहिये। इसके अलावे प्रवर-समिति के एक सदस्य, श्री मौलवी सगिरूल हक की मृत्यु हो गई है और उनकी जगह पर एक सदस्य को निर्वाचित करना होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह—जब मतदान हो रहा है तो कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष—प्रतिवेदन की तिथि रहना आवश्यक है इसलिये यह कोई संशोधन नहीं है और जहां तक श्री सगिरूल हक की मृत्यु की बात है आखिर किसी मृत सदस्य की जगह पर दूसरे को निर्वाचित तो करना ही होगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रवर-समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित की बिहार प्रिजरवेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल बिल, १९५३ इस आदेश के साथ उसी प्रवर-समिति को फिर से सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन १५ दिसम्बर, १९५४ तक दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार डिस्प्लेस्ड परसन्स गवर्नमेंट प्रेमिसेस (रेंट रिकवरी ऐंड इवीक्शन) बिल, १९५४ (विधान परिषद् में उद्भूत तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत)।

THE BIHAR DISPLACED PERSONS' GOVERNMENT PREMISES (RENT RECOVERY AND EVICTION) BILL, 1954 (ORIGINATED IN AND AS PASSED BY THE LEGISLATIVE COUNCIL).

Shri NIRAPADA MUKHERJEE : Sir, I beg to move :

That the Bihar Displaced Persons' Government Premises (Rent Recovery and Eviction) Bill, 1954, as passed by the Bihar Legislative Council, be taken into consideration.

SPEAKER : The question is :

That the Bihar Displaced Persons' Government Premises (Rent Recovery and Eviction) Bill, 1954, as passed by the Bihar Legislative Council, be taken into consideration.

The motion was adopted.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ३।

*श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन खंड ३ पर पेश करना चाहता हूँ—

That after proviso to clause 3 of the Bill, the following further proviso be added, namely :—

"Provided further that before passing final orders for cancelling the allotment the competent authority shall be satisfied and record in writing on the order sheet that the person whose allotment has been cancelled can reasonably shift to some other building within the same town or village or in its vincinity."

अध्यक्ष—सम अदर बिल्डींग का क्या माने है?